कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::निर्देश::

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र दिनांकः 09.12.2021 को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः 10.12.2021 द्वारा अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को पृष्ठांकित किया गया था।

उक्त परिपत्र के संबंध में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कार्यालयो द्वारा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ ही कार्यालयों/विद्यालयों में कार्यव्यवस्थार्थ लगे कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने हेतु लिखा जा रहा है। उक्त आदेश राज्य सरकार के उक्त परिपत्र का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त परिपत्र दिनांकः 09.12.2021 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि "वर्तमान में उक्त आदेश शिक्षा विभाग में ही किसी भी स्तर पर कार्यव्यवस्थार्थ या अस्थायी प्रतिनियुक्त पर लगे हुए शिक्षकों/कार्मिकों तथा अन्य विभागों/कार्यालयों में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम–144 'क' के तहत प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे"।

अधीनस्थ समस्त नियंत्रक अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी विद्यालय में शैक्षिक व्यवस्थार्थ कहीं लगाया जाना है, तो उसके ऑफलाइन आदेश जारी नहीं कर उसके प्रस्ताव ऑनलाइन शालादर्पण मॉड्यूल के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाना जाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की सके।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांकः 09.12.2021 के परिपत्र के उल्लंघन में यदि आदेश/निर्देश किसी भी स्तर से जारी किए गए है तो तत्काल निरस्त करे। सभी संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावें।

30.12.21

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–3/13406/सामान्य प्रतिनियुक्ति/2019/191 दिनांकः 31 DEC 2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,